जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा. / स.स. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2017 / डी– 2538 दिनांकः– 15/11/2017

सिग्ना होम्स,
जरिये पार्टनर,
श्री आशीष अग्रवाल पुत्र श्री अशोक अग्रवाल
26, बजरंग विहार, दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पीछे,
दुर्गापुरा, जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 46 / 182, 51, 52, 57, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2017 के संदर्भ में जो प्रस्ताव खसरा नम्बर 46 / 182, 51, 52, 57, ग्राम चक सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित भूखण्ड (3618.33 वर्गमीटर + सडक में समर्पित क्षेत्र = 1916.05 व.मी. = 5534.38 वर्गमीटर क्षेत्रफल) पर 36.50 मीटर ऊँचाई (भूतल + 11 तल) के मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 196वीं बैठक दिनांक 05.09.2017 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:–

1. यह भवन अनुज्ञा अक्टूबर–2020 (मुख्यमंत्री जन आवास योजना की सामान्य शर्त संख्या 3 (A) के अनुसार) तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान / जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द / बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त / उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन–09 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 09 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 से संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।

15. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
16. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
17. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
18. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
19. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
20. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
21. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
24. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
25. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा पर्यावरण अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
26. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
27. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (04 मानचित्र)

भवदीय,
15/X/17
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु मानचित्रों की प्रति (04 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

E:\New Folder\bpc-2\bpc\Section letter\Afordable.doc

SHEET NO-01

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)													
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE STAIR AREA	HANDICAPPED RAMP	BALCONY	PROJECTION	BUILTUP AREA	CORRIDOR	STAIR WELL	LIFT WELL	CLUB	COMMERCIAL & STORE	F.A.R.
1	GROUND	1152.15	10.81	5.49	5.71	572.11	558.03	80.48	19.35	17.00	162.98	157.21	121.01
2	FIRST	1100.65	10.81	-	38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
3	SECOND	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
4	THIRD	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
5	FORTH	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
6	FIFTH	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
7	SIXTH	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
8	7th FLOOR	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
9	8TH FLOOR	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
10	9th FLOOR	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
11	10th FLOOR	1100.65	10.81		38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
12	11th FLOOR	1100.65	10.81	-	38.14		1051.70	134.15	19.35	17.00	-	-	881.20
13	MUMTY/ STAIR	74.92					74.92						
14	TOTAL	13334.22					12201.65	1556.13			162.68	157.21	9814.21

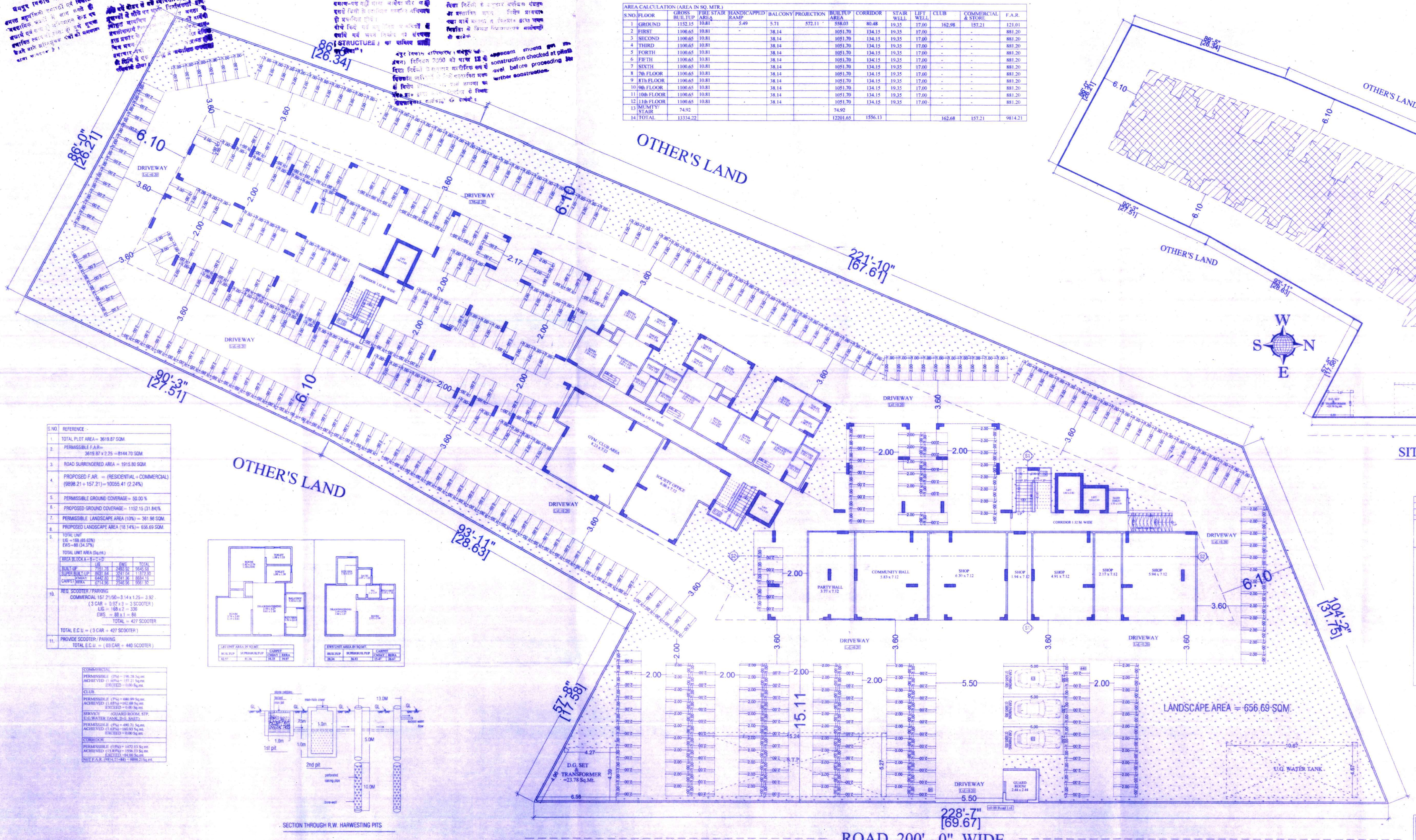

GROUND FLOOR PLAN

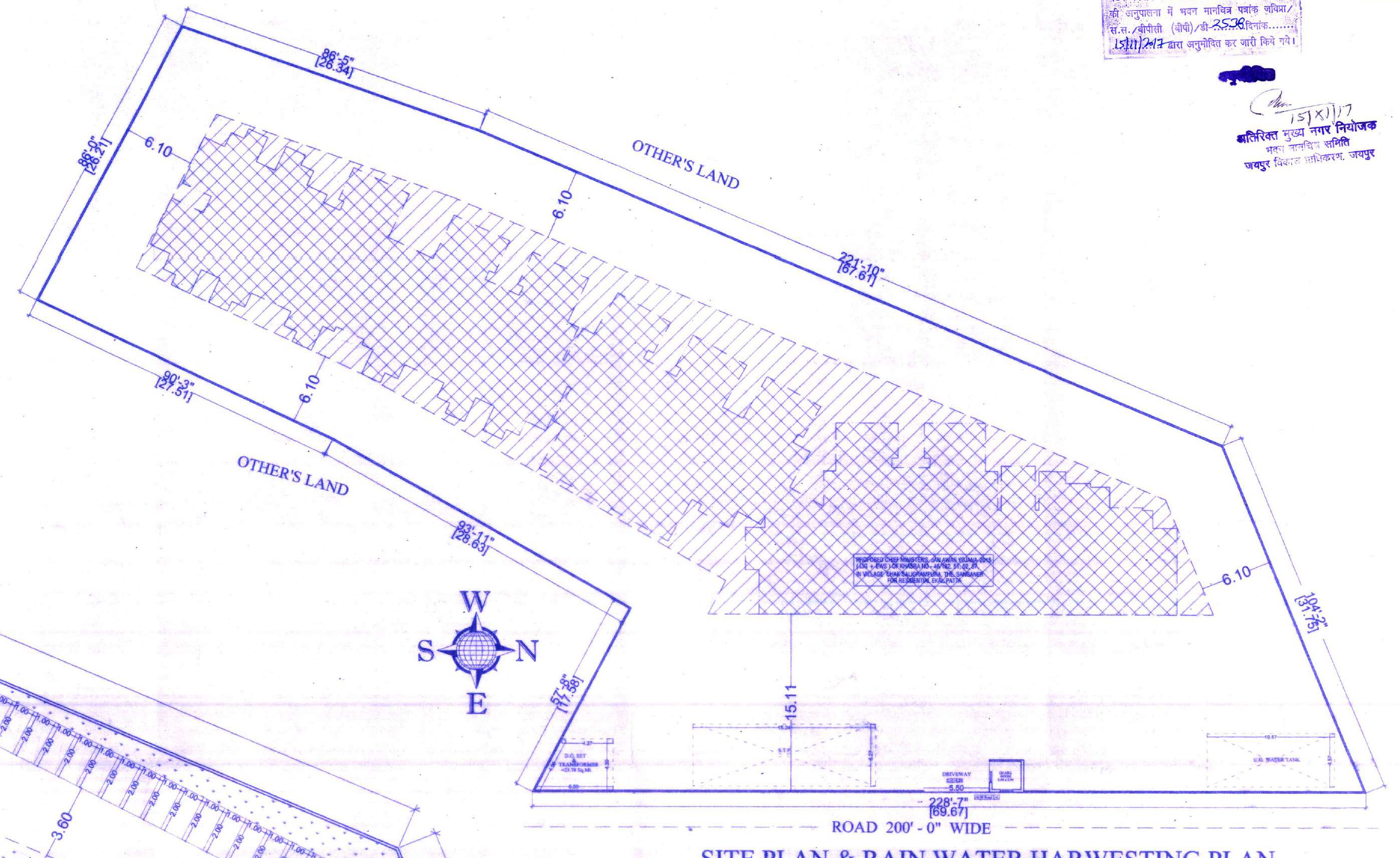

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN

scale = 1:250

S.NO	REFERENCE
1.	TOTAL PLOT AREA:= 3619.87 SQM.
2.	PERMISSIBLE F.A.R:= 3619.87 x 2.25 =8144.70 SQM
3.	ROAD SURRENGERED AREA = 1915.50 SQM
4.	PROPOSED F.AR. := (RESIDENTIAL + COMMERCIAL) (6898.21 + 157.21)=10055.41 (2.24%)
5.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= 50.00 %
6.	PROPOSED GROUND COVERAGE= 1152.15 (31.84)%
7.	PERMISSIBLE LANDSCAPE AREA (10%) = 361.98 SQM.
8.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (18.14%) = 656.69 SQM
9.	TOTAL UNIT LIG =188 (49.53%) EWS=-88 (34.37%) TOTAL UNIT AREA (Sq.mt.)
10.	RES. SCOOTER / PARKING COMMERCIAL 157.21/50=3.14 x 1.25= 3.92 (3 CAR = 0.57 x 3 = 3 SCOOTER) LIG = 188 x 2 = 336 EWS = 88 x 1 = 88 TOTAL = 427 SCOOTER TOTAL E.C.U. = (3 CAR = 427 SCOOTER)
11.	PROVIDE SCOOTER / PARKING TOTAL E.C.U. = (03 CAR = 440 SCOOTER)

	LIG	EWS	TOTAL
BUILT UP	16311.18	14263.50	30574.68
SUPER BUILT-UP	19567.42	17116.20	36683.62
CARPET AREA	14482.56	12421.35	26903.91
CARPET AREA	13712.80	12542.55	26255.35

LIG UNIT AREA IN SQ.MT.			
BUILTUP	SUPERBUILTUP	CARPET AREA	
82.87	97.54	76.55	76.55

EWS UNIT AREA IN SQ.MT.			
BUILTUP	SUPERBUILTUP	CARPET AREA	
28.34	36.93	27.97	28.87

COMMERCIAL
PERMISSIBLE (5%) = 198.28 Sq.mt. ACHIEVED (5.40%) = 157.21 Sq.mt. EXCESS = (-)41.06 Sq.mt.
CLUB
PERMISSIBLE (5%) = 198.28 Sq.mt. ACHIEVED (5.02%) = 162.68 Sq.mt. EXCESS = (-)35.60 Sq.mt.
SERVICE (GUARD ROOM, STP, S.U.B/WATER TANK, D.G. SHAFT)
PERMISSIBLE (2.5%) = 99.21 Sq.mt. ACHIEVED (3.63%) = 109.93 Sq.mt. EXCESS = 10.86 Sq.mt.
CORRIDOR
PERMISSIBLE (15%) = 1372.53 Sq.mt. ACHIEVED (15.8%) = 1556.13 Sq.mt. EXCESS = 183.60 Sq.mt. NET F.A.R. (9814.21+441 = 9898.21) Sq.mt.

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

EWS LIG TABLE (Ground,1st TO 11th FLOOR)																													
COMMON AREA (CORRIDOR+STAIR+LIFT) NO. OF UNIT=42																													
BALCONY AREA (UNIT BALCONY D= 56)																													
FLOOR	A7	LIG	B6	BUILT-UP AREA (Sq.mt)	SUPERBUILT-UP (BUILT-UP+A+B6)	CARPET AREA			A7	EWS	B6	BUILT-UP AREA (Sq.mt)	SUPERBUILT-UP (BUILT-UP+A+B6)	CARPET AREA														
Ground						CARPET	BIGRA							CARPET	BIGRA														
	7.80	LIG-G-1	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-1	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-G-2	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-2	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-G-3	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-3	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	GRAND TOTAL			225.71	154.15	115.65	119.85		7.80	EWS-G-4	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
1st Floor TO 11th FLOOR	7.80	LIG-1st-1	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95	1st Floor TO 11th FLOOR	7.80	EWS-G-5	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-1st-2	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-6	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-1st-3	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-7	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-1st-4	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		7.80	EWS-G-8	0.61	28.34	36.87	25.47	26.47														
	7.80	LIG-1st-5	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95		GRAND TOTAL			226.72	294.64	203.76	213.76														
	7.80	LIG-1st-6	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-7	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-8	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-9	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-10	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-11	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-12	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-13	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-14	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	7.80	LIG-1st-15	0.85	42.57	51.38	38.55	39.95																						
	GRAND TOTAL			598.53	719.70	539.25	560.35																						

LIG	AREA	GROUND	TYPICAL		
		CARPET	CARPET	BIGAREA	TOTAL
BUILTUP	42.57	7	12	0.85	7371.70
SUPER BUILT-UP	51.38				8922.80
CARPET AREA	38.55				6482.80
BIGRA	39.95				6754.50
TOTAL UNIT		108			

EWS		TYPICAL	
	AREA	CARPET	BIGAREA
BUILTUP	42.57	7	0.85
SUPER BUILT-UP	54.83		
CARPET AREA	27.97	11	1.00
BIGRA	28.87		
TOTAL UNIT		88	

Project Name - Shagun

SCALE = 1:125

PROJECT :-

PROPOSED CHIEF MINISTER'S. JAN AWAS YOJANA-2015 (LIG + EWS) OF KHASRA NO - 46/182, 51, 52, 57, IN VILLAGE CHAK GALIGRAMPURA, THE. SANGANER FOR RESIDENTIAL EKAL PATTA

OWNER

PONGNA HOMES PARTNER

ARCHITECT

SPACE GRID

C-46,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015.
PH-09214918788,0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-02

1ST FLOOR PLAN

TYPICAL 2ND TO 11TH FLOOR PLAN

TERRACE FLOOR PLAN

Project Name - Shagun

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED CHEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA-2015
(LIG + EWS) OF KHASRA NO - 46/182, 81, 82, 57,
IN VILLAGE CHAK SALIGRAMPURA, THE. SANGANER
FOR RESIDENTIAL EMI. PATTA

OWNER
PARAS BUILDERS
PROPRIETOR
PARTNER

ARCHITECT
SPACE GRID
SURYA VIDYA APARTMENT,PAWAS MARG,
SAPU NAGAR,NEAR JAYITA STORE CROSS,
SANGANER,JAIPUR
PH-0091-141-6786,0141-4600506 (O)
Email - info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

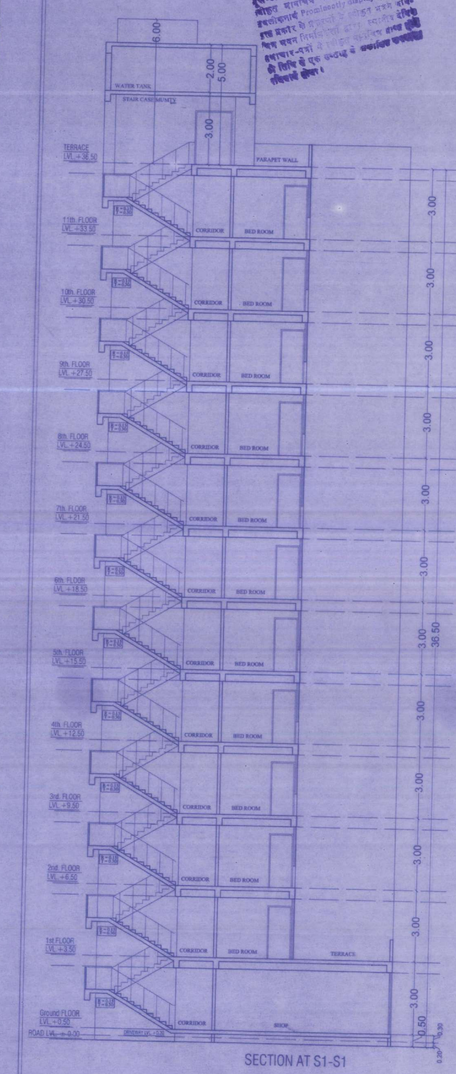

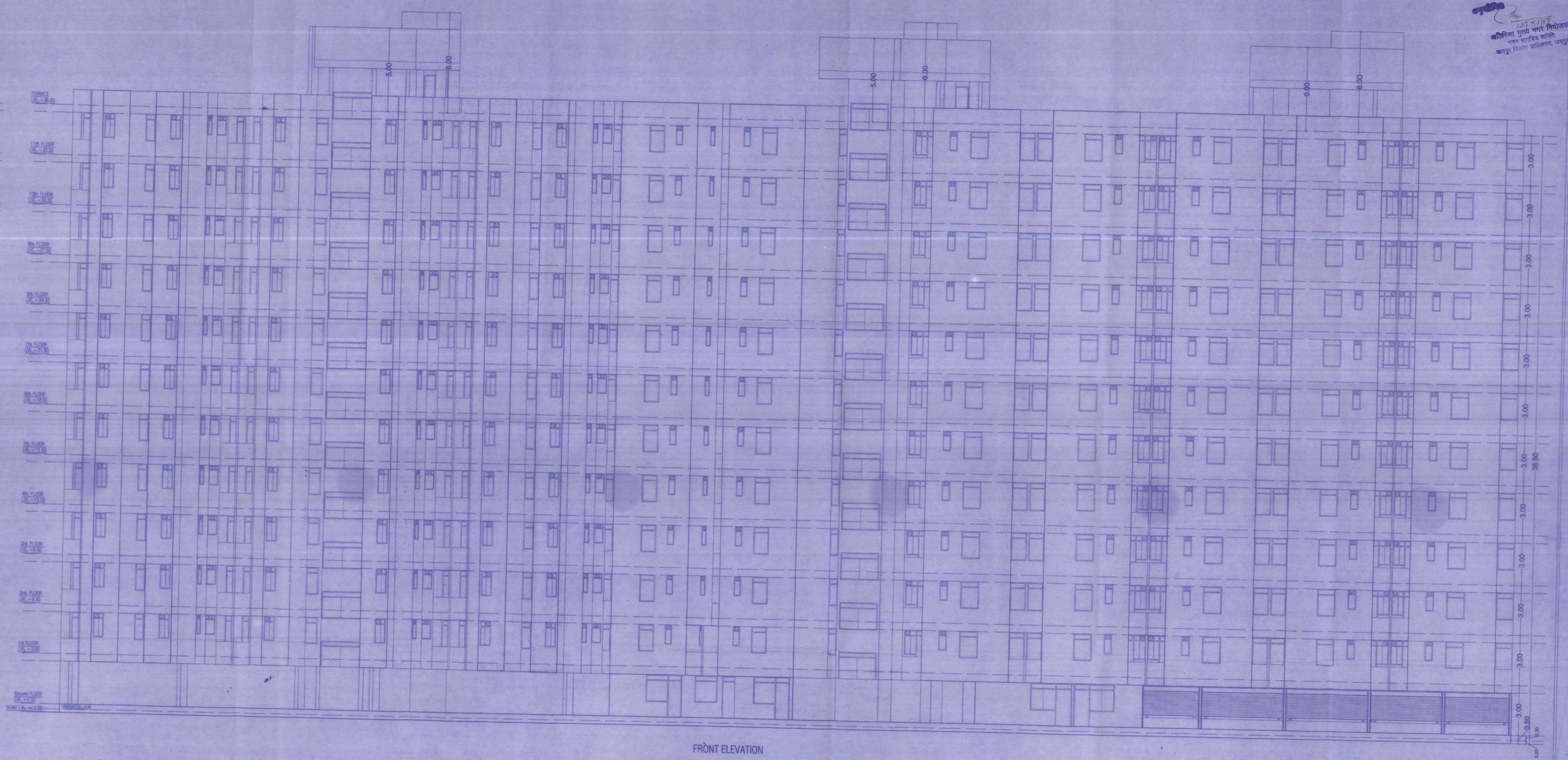

Project Name - Shagun

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT
PROPOSED CHIEF MINISTER'S JAN AWAS YOJANA-2015 (LIG + EWS) OF KHASRA NO - 46/182, 51, 52, 57, IN VILLAGE CHAK SALIGRAMPURA THE. SANGANER FOR RESIDENTIAL EKAL PATTA	PARTNER	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314318788,0141-4005508 (R) Email- info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-04

RIGHT SIDE ELEVATION

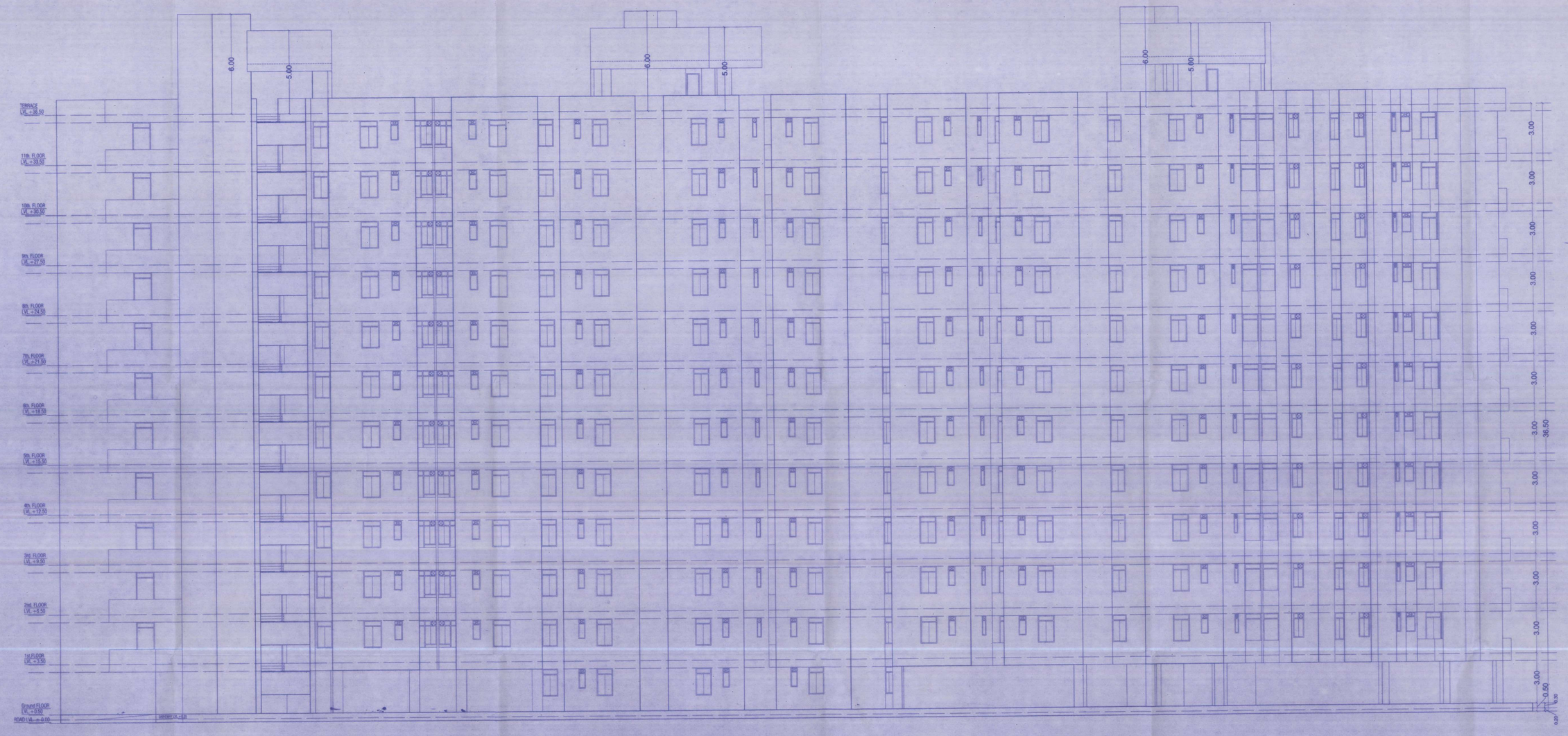

BACK ELEVATION

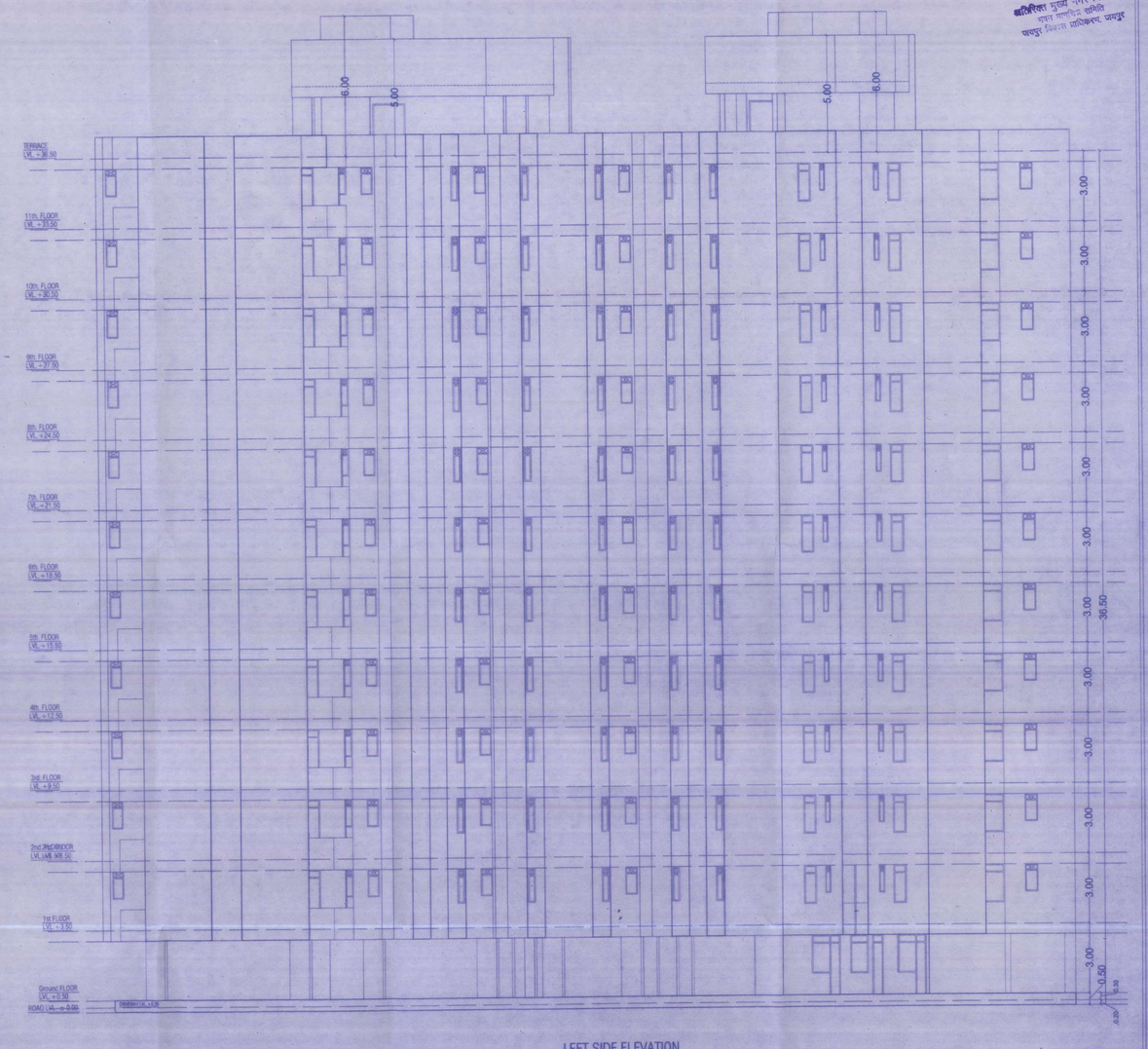

LEFT SIDE ELEVATION

Project Name - Bhagwan

SCALE at 1:100

PROJECT :-

PROPOSED CHIEF MINISTERS JAN AWAS YOJANA-2015
(LIG + EWS) OF KHASRA NO - 49/182, 51, 52, 57,
IN VILLAGE CHAK SALIGRAMPURA, THE- SANGANER
FOR RESIDENTIAL EKAL PATTA

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-45 ARYA APARTMENT PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-0091491876816,0141-4005508-(O)
Email- info.spacegrid@gmail.com